



अजमेर-विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
वाणिज्य विभाग

वाणिज्य अ.ज. - 399

क्रं-अ.वि.वि.नि.लि/उप.मु.अ.(वा.)/अ.अ. (वा.)/फा.(57) ई/ 2009/प्रे.4339 दिनांक 10/21/09

आदेश

विषय:- शहरी क्षेत्र में “ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों” (BPL) को रियायती दरों पर घरेलू सेवा के कनेक्शन जारी करने के क्रम में।

वर्तमान में शहरी क्षेत्र में “गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों” (BPL) को घरेलू श्रेणी के कनेक्शन लेने के लिये “स्थायी चार्ज” के अलावा अन्य राशियों जैसे कि लेबर एवं सुपरविजन चार्ज, विद्युत उपभोग अमानत राशि, मीटर अमानत राशि एवं मीटर बक्से की कीमत भी जमा करानी पड़ती है। इस सम्बन्ध में प्रायः यह देखा गया है कि उपरोक्तानुसार जारी डिमाण्ड नोट की राशि शहरी क्षेत्र के बीपीएल परिवारों द्वारा जमा कराने में असमर्थता दर्शायी जाती है। अतः उनके द्वारा कनेक्शन नहीं लिया जाता है।

इस विषय पर विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया है कि शहरी क्षेत्र के बीपीएल परिवारों को भी घरेलू श्रेणी का कनेक्शन, शहरी क्षेत्र की कच्ची बस्तियों में दिय जा रहे कनेक्शन की तरह रियायती दरों पर जारी किय जायेंगे।

अतः शहरी क्षेत्र के बीपीएल परिवारों को घरेलू श्रेणी के कनेक्शन निम्नानुसार रियायती दरों पर दिये जायेंगे।

- | | |
|---|-------------------|
| 1. स्थायी, लेबर एवं सुपरविजन चार्ज | रु. 2500/- |
| 2. मीटर अमानत राशि एवं मीटर बक्से की कीमत | रु. शून्य |
| | <u>रु. 2500/-</u> |

उपरोक्त राशि के अलावा लाईन के पेटे अन्य कोई राशि नहीं ली जायेगी। आवेदक को 100 रु. प्रति कि.वा. सम्बद्ध भार (Connected Load) के हिसाब से विद्युत उपभोग अमानत राशि 6 (Six) द्वि-मासिक किश्तों में चालू विद्युत बिलो के साथ-साथ जमा करानी होगी।

उपरोक्त रियायती दरों की सुविधा लेने के लिये आवेदक को जिले के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बीपीएल परिवार होने का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

आज्ञा से

(पी.के. भोगावत)

उप.मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)
अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।

Regarding release of domestic
connection in ~~the~~ urban area to B.P.L.
category.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निर्देशक वित्त/तकनीकी, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
2. मुख्य अभियन्ता (परि. एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम, झुन्झुनूं।
3. संभागीय मुख्य अभियन्ता (परि. एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर/उदयपुर।
4. मुख्य लेखा अधिकारी, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
5. कम्पनी सचिव, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
6. अधीक्षण अभियन्ता (परि. एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम को अतिरिक्त
7. अधीक्षण अभियन्ता (मीटर्स/प्लान/एमएम/आर.पी.पी.सी.), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर/उदयपुर/जयपुर।
8. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सर्तकता), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
9. सचिव (प्रशासन), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
10. अधिशाषी अभियन्ता () अजमेर डिस्कॉम
11. वरिष्ठ लेखाधिकारी (), अजमेर डिस्कॉम
12. जन सम्पर्क अधिकारी, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
13. प्रभारी विधि विभाग, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
14. प्रावैधिक सहायक, प्रबन्ध निदेशक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
15. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
16. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/जोधपुर।

अधिशाषी अभियन्ता (वाणिज्य)

incl
TCO
conn
requi
is req
unon
popo:
the bu
the vo
distrib
and als
In such
connect
In
for relea
connecti
appears
discusse
January
the elect
decided t
released o
the occup
comp. A
being met
depending
Base
connections
prescribed.
A. Reside
"Reside
for bon
(i) Th
be
pre

C:\WINDOWS\Pro